रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022020-215990
CG-DL-E-07022020-215990

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 3, 2020/माघ 14, 1941
No. 61] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 3, 2020/MAGHA 14, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2020

सा.नि.का. 79(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 230 के साथ पठित धारा 469 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) संशोधन नियम, 2020 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 (इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के, नियम 3 में, उपनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(5) धारा 230 की उपधारा (11) में दी गई शर्तों के अनुसार, कंपनी का सदस्य प्रबंध ग्रहण प्रस्ताव के प्रयोजन के लिए तभी आवेदन देगा यदि ऐसे सदस्य के पास ऐसे किसी अन्य सदस्य के साथ-साथ कंपनी के कम से कम तीन चौथाई शेयर हों, और ऐसा आवेदन कंपनी के शेष शेयरों के भाग के अधिग्रहण हेतु फाइल किया गया हो।

स्पष्टीकरण I.- "शेयर" से कंपनी के मताधिकार वाले साम्या शेयर अभिप्रेत है और इसमें निक्षेपागारी पावतियां जैसी अन्य प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं, जो धारक को मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार देती हैं।

स्पष्टीकरण II.- इस उपनियम में कोई बात, यथास्थिति संविदा या ठहराव या उत्तराधिकार के माध्यम से शेयरों के किसी प्रकार के अंतरण या पारेषण या किसी कानूनी या विनियामक अपेक्षा के अनुसरण में किए गए किसी अंतरण पर लागू नहीं होगा।

(6) प्रबंध ग्रहण प्रस्ताव के ठहराव के आवेदन में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा:-

(क) सदस्य द्वारा निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखने के पश्चात् अर्जित किए जाने वाले प्रस्तावित शेयरों के मूल्यांकन के ब्यौरे का प्रकटीकरण करते हुए किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक की रिपोर्ट:-

(i) पिछले बारह महीनों के दौरान किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा शेयरों के अर्जन के लिए संदत्त किया जाने वाली उच्चतम कीमत;

(ii) कंपनी के शेयरों की उचित कीमत का अवधारण रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा शेयरों के निवल मूल्य, बही मूल्य, प्रतिशेयर आय, उद्योग जगत में औसत की तुलना में मूल्य उपार्जन गुणक और ऐसी कंपनियों के शेयरों के मूल्यांकन के लिए यथाप्रचलित ऐसे अन्य मापदण्डों को ध्यान में रखने के पश्चात् किया जाना है।

(ख) सदस्य द्वारा पृथक रूप से खोले जाने वाले बैंक खाते का ब्यौरा, जिसमें प्रबंध ग्रहण प्रस्ताव के कुल प्रतिफल के आधे से अन्यून राशि जमा कराई जाती है।"।

3. मूल नियमों की, फीस अनुसूची में, क्रम संख्या 1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"1.	धारा 230 की उपधारा (1)	3	समझौता, ठहराव और समामेलन के लिए आवेदन	5,000/-रुपये"

[फा. सं. 2/31/सीएए/2013-सीएल-V]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि 1134(अ), तारीख 14 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि 368(अ) तारीख 13 अप्रैल, 2017 द्वारा संशोधन किए गए थे।

IndiaCode

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2020

G.S.R. 79(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 read with section 230 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016, namely :-

1. **Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016, (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 3, after sub-rule (4), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

"(5) A member of the company shall make an application for arrangement, for the purpose of takeover offer in terms of sub-section (11) of section 230, when such member along with any other member holds not less than three-fourths of the shares in the company, and such application has been filed for acquiring any part of the remaining shares of the company.

Explanation I.—"shares" means the equity shares of the company carrying voting rights, and includes any securities, such as depository receipts, which entitles the holder thereof to exercise voting rights.

Explanation II.—Nothing in this sub-rule shall apply to any transfer or transmission of shares through a contract, arrangement or succession, as the case may be, or any transfer made in pursuance of any statutory or regulatory requirement.

(6) An application of arrangement for takeover offer shall contain:-

(a) the report of a registered valuer disclosing the details of the valuation of the shares proposed to be acquired by the member after taking into account the following factors:—

(i) the highest price paid by any person or group of persons for acquisition of shares during last twelve months;

(ii) the fair price of shares of the company to be determined by the registered valuer after taking into account valuation parameters including return on net worth, book value of shares, earning per share, price earning multiple vis-à-vis the industry average, and such other parameters as are customary for valuation of shares of such companies.

(b) details of a bank account, to be opened separately, by the member wherein a sum of amount not less than one-half of total consideration of the takeover offer is deposited.".

3. In the principal rules, in Schedule of Fees, for S.No. 1, the following shall be substituted namely:—

"1.	Sub-section (1) of section 230	3	Application for compromise arrangement and amalgamation.	Rs. 5,000/-".

[F. No. 2/31/CAA/2013-CL.V]
K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R 1134 (E), dated the 14th December, 2016 and amended *vide* notification number G.S.R. 368(E) dated the 13th April, 2017.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.02.07 14:32:09 +05'30'